

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक नर्सिंग/नर्स-1/विविध-35/2019/153

दिनांक 03-04-2019

-:आदेश:-

वेतन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11 (7) एफ डी/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008, एफ 14(88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 एवं एफ 15(1)एफ डी/नियम 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 में उल्लिखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्स प्रथम/नर्सिंग ट्यूटर जिन्होंने 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अविकृत तिथि से एसीपी/पे-मैट्रिक्स लेवल में एसीपी स्वीकृत की जाती है -

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री) व पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक एवं पूर्ण सेवावधि	देय पे बैंड एसीपी/पे-मैट्रिक्स लेवल प्राप्त	देय ग्रेड-पे/पे-मैट्रिक्स लेवल
1.	भेकरसी लोखण, नर्स प्रथम	धौलपुर	01.03.1992	01.03.2019 27 वर्ष	L-13	L-14
2.	धनकन्या एम.एस., नर्स प्रथम	धौलपुर	01.03.1992	01.03.2019 27 वर्ष	L-13	L-14
3.	सुरेश कुमार ढाका, नर्स प्रथम	सीकर	26.12.1990	26.12.2017 27 वर्ष	L-13	L-14
4.	सतीश कुमार बिजारणिया, नर्स प्रथम	सीकर	19.08.1991	19.08.2018 27 वर्ष	L-13	L-14
5.	मोहम्मद सलीक भाटी, नर्स प्रथम	सीकर	14.01.1991	14.01.2018 27 वर्ष	L-13	L-14
6.	हनुमान रेड्डू रूणिया, नर्स प्रथम	सीकर	21.06.1989	21.06.2016 27 वर्ष	L-13	L-14
7.	बजरग सिंह, नर्स प्रथम	सीकर	27.12.1990	27.12.2017 27 वर्ष	L-13	L-14
8.	समन्दर सिंह, नर्स प्रथम	भरतपुर	02.02.1986	02.02.2014 27 वर्ष	15600-39100	6000
9.	अशोक कुमार, नर्स प्रथम	सिरोही	12.07.1990	12.07.2017 27 वर्ष	15600-39100	6000
10.	ताजारम चौधरी, नर्स प्रथम	जोधपुर	15.12.1990	15.12.2018 27 वर्ष	L-13	L-14
11.	रामलक्ष्मण महावर, नर्स प्रथम	बूंदी	01.08.1991	01.08.2018 27 वर्ष	L-13	L-14
12.	विजय कुमार, नर्स प्रथम	अजमेर	02.07.1991	02.07.2018 27 वर्ष	L-13	L-14
13.	विजय कुमार शर्मा, नर्स प्रथम	भरतपुर	30.07.1990	30.07.2017 27 वर्ष	15600-39100	6000
14.	अमरकाश जागिंड, नर्स प्रथम	झुझुनु	10.06.1989	10.06.2016 27 वर्ष	15600-39100	6000
15.	निर्मला कुमार सैन, नर्स प्रथम	कोटा	18.07.1988	18.07.2015 27 वर्ष	15600-39100	6000

नोट- क्रम संख्या 10 पर अंकित श्री ताजारम चौधरी, नर्स प्रथम के एक वार्षिक वेतन वृद्धि असचयी प्रभाव से रोके जाने के कारण 27 वर्ष पर देय पे-मैट्रिक्स लेवल दिनांक 15.12.2018 से देय है।

दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी सतान नहीं होने की शर्त पर ही उक्त एसीपी मान्य होगी यदि किसी कर्मचारी के कारण में तीसरी सतान की इस शर्त का उल्लंघन पाया गया तो उसके संबंध में यह आदेश प्रारम्भ से ही शून्य होगा।

उक्त कर्मिकों का वेतन नियतन संबंधी प्रशासनिक अधिकारों द्वारा पृथक से किया जाएगा।

-sd.
(मुकुल शर्मा)

आंतरिक निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

कमाक न रोग/नर्स-1/विधि-5/2019/153

दिनांक 03-04-2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 निदेशक, करांडा योजना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
- 2 संबंधित सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन।
- 3 संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय।
- 4 विशेषाधिकारी, आर एम एस सी, मुख्यालय।
- 5 संबंधित अधीक्षक, सलग्न चिकित्सालय समूह।
- 6 संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
- 7 संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
- 8 संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
- 9 संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
- 10 संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 11 प्रभार: सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर।
- 12 आदेश/निजी पत्रावली।

Y

(महेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर